

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 14, शुक्रवार, शके 1947- दिसम्बर 05, 2025 Agrahayana 14, Friday, Saka 1947- December 05, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (कर) विभाग

आदेश

जयपुर, नवम्बर 28, 2025

विषय:- हिन्दी फिल्म “120 बहादुर” को प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।

संख्या F.24(6)/FD/Tax/2025-21 :-हिन्दी फिल्म “120 बहादुर” को मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय किया गया है:-

- 1) फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमा/मल्टी प्लेक्स की प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न क्लासों की आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।
- 2) पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्म के दौरान राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।
- 3) फिल्म पर आगणित राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की धनराशि, पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा स्वयं के स्तर से राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी जिस प्रकार इस आदेश के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु राजकोष में जमा की प्रक्रिया विहित है।
- 4) पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा दर्शकों से राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की वसूली यदि आदेश जारी किये जाने से पूर्व में कर ली गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
- 5) मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान द्वारा राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन एवं प्रक्रिया के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।
- 6) यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नथमल डिंडेल,

संयुक्त शासन सचिव।

14059

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।